

राजस्थान सरकार
गृह (सुप-10) विभाग

क्रमांक : प. 18(2) गृह-10/2016

जयपुर, दिनांक 07.01.2021


आज्ञा

राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 के नियम 9 के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 की रिक्तियों के लिए पदोन्नति देने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा श्रीमती प्रेमलता डाबी, सहायक अभियोजन अधिकारी के विरुद्ध, अन्तर्गत नियम 17, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण इनकी पदोन्नति का निर्णय शील बंद लिफाफे में रखा गया। श्रीमती डाबी के विरुद्ध विचाराधीन 17 सीसीए की कार्यवाही में इनको दोषमुक्त किया गया है।

अतः पदोन्नति समिति की अभिशंका पर राज्यपाल महोदय द्वारा श्रीमती प्रेमलता डाबी, सहायक अभियोजन अधिकारी को अभियोजन अधिकारी के अस्थाई पदों पर वेतन श्रृंखला (9300-34800) ग्रेड पे-(14) 4800/- **Pay Matrix L-12 in Revised Pay Rules 2017** में पदोन्नत कर नियुक्त किया जाता है। पदोन्नति का काल्पनिक लाभ रिक्त की दिनांक 01.04.2020 से देय होगा।

उक्त अधिकारी के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेंगे।


आज्ञा से


(राजेन्द्र कुमार सैनी)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह
5. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6. संबंधित अधिकारीगण।
7. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (जे)/(पी)
8. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
9. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)
राजस्थान, जयपुर